IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना द्वारा वृद्धजनों के आर्थिक, सामाजिक, सशक्तिकरण का अध्ययन"

(बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लॉक के विशेष संदर्भ में)

मोहन ध्रुव
सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र
वीर योद्धा जकरकन भतरा शासकीय महाविद्यालय बकावण्ड
जिला–बस्तर (छ0ग0)

सरांशः–

प्रस्तुत अध्ययन राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना द्वारा वृद्धजनों के आर्थिक, सामाजिक, सशक्तिकरण का अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लॉक के विशेष संदर्भ में अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य वृद्धजनों के आर्थिक,सामाजिक एवं स्वास्थ्य दशाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना हैं। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक विधियों का प्रयोग कर सविचार एवं दैव निदर्शन विधियों द्वारा यादृच्छिक रुप से 153 लाभार्थियों का चयन न्यादर्श के रुप में चयन किया गया हैं। निष्कर्ष रुप में पाया गया हैं कि निम्न आय वर्ग के लाभार्थियों की संख्या 45.75 प्रतिशत हैं। अधिकांश लाभार्थी अपने पेंशन रशि का उपयोग स्वयं के उपभोग में करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि कोरोना महामारी के समय लाभार्थियों के आर्थिक मंदी को दूर करने में 88.23 प्रतिशत रहा है। लाभार्थियों की प्रमुख समस्याएँ प्रसार प्रचार की कमी एवं न्यादर्श परिवारों में शिक्षा एवं जागरुकता की कमी हैं। अध्ययन में यह सुझाव दिया गया हैं कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कि व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिएं जिससे अधिक से अधिक वृद्धजन इस योजना से लाभान्वित हो सके।

शब्दकूंजीः– वृद्धावस्था पेंशन योजना, केंन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जीवन–यापन, लाभार्थियों, यादृच्छिक,

भूमिकाः–

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो बुजुर्गों, विधवाओं एवं विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)के द्वारा सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण दिया जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के द्वारा अभावों से जूझ रहे परिवारों को नगद हस्तांतरण की सुविधा खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान में (NSAP) के अन्तर्गत पॉच कार्यक्रम संचालित हैं जिसमें इंदरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) इंदरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (INGWPS) इंदरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) अन्नपूर्णा योजना।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 41 में राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, चिकित्सा सुविधाएँ एवं आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के तहत अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया हैं। 1995 राष्ट्रीय सामाजिक सहयता कार्यक्रम में तीन घटक शामिल हैं, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना , राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना , राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना शामिल हैं ।

जर्मनी में ' आर्कडयूक ओटो वॉन बिस्मार्क ' के सामाजिक कानून 1889 में ओल्ड एज एंड डिसएबिलिटी इंश्योरेंस बिल के हिस्से के रूप में ओल्ड एज पेंशन कार्यक्रम श्रमिकों पर कर द्वारा वित्त पोषित किया गया था मूल रूप से उन श्रमिकों के लिये पेंशन वार्षिकी प्रदान करने के लिये निर्माण किया गया था जिसकी उम्र 70 वर्ष थी 1916 में 70 वर्ष से कम कर दी गई थी। इस योजना के अन्तर्गत पेंशन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति जिसकी उम्र 70 वर्ष हो ,योजना में शामिल की गयी।

यूनाइटेड किंगडम में वृद्धावस्था पेंशन अधिनियम 1908 सामाजिक सुरक्षा का एक हिस्सा हैं कल्याण सुधारों की 1906–1914 की उदार सरकार इस अधिनियम को 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिये वृद्धावस्था पेंशन योजना तैयार की गयी।

विश्व के प्रमुख वृद्धावस्था संचालित देश

देश	जर्मनी	डेनमार्क	न्यूजीलैण्ड	यूनाइटेड किंगडम	इटली	संयुक्त राज्य अमेरिका	जापान	आस्टेलिया
प्रारम्भ वर्ष	1889	1891	1898	1909	1919	1920	1942	1952
देश	हंगरी	फ्रांस	स्वीडन	आयरलैण्ड	भारत	चीन	थाइलैण्ड	कोरिया
प्रारम्भ वर्ष	1952	1955	1960	1980	1995	1997	1998	1998

भारत में केंन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 समाज के निर्बल आबादी को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तीन प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) एवं मातृत्व लाभ योजना (NMBS) को शामिल किया गया निराश्रित आवेदक जिसके पास रहने का कोई साधन नहीं है, लेकिन जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है केंन्द्र सरकार ने पात्र लाभार्थी को 75 रू सहायता प्रदान की । 2002–03 केंन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजना को राज्य योजना में परिवर्तित किया गया था, 2007 में इस योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया। पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड वह व्यक्ति जिसने 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो, वह गरीबी रेखा से नीचे के निवास करने वाले परिवार से संबंधित हो वह व्यक्ति योजना द्वारा लाभान्वित हो सकता है। लाभार्थियों को केन्द्रीय सहायता भी दी जाती थी । एक ही समय में लाभार्थियों को 75रू से 200 रूपये प्रदान किए जाते है । 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ज्ञापन ,आयु पात्रता मानदंड कार्यक्रम को 65 वर्ष से 60 वर्ष तक कम कर दिया गया एवं पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिये केद्रं सरकार के द्वारा नगद पात्रता 80 वर्ष से ऊपर की आयु में 200रू से बढ़कर 500रूपये की गयी।

01 नवम्बर 2000 को नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य भारत के 26 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया । उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में 16 जिले थे । वर्तमान समय में 28 जिले में विभक्त हैं । छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरूआत 01 नवम्बर 2000 में प्रारम्भ की गयी।

छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है । छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित हैं , सन् 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या 2,08,33,803 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या 2,55,40,196 है । छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अनुसार 2018–19 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की कुल लाभार्थियों की संख्या 6,63447 हैं ।

प्रस्तुत अध्ययन में बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की भूमिका का अध्ययन हैं, 1948 में बस्तर जिले का निर्माण किया गया वर्तमान में यह जिला छत्तीसगढ़ राज्य में हैं जिसमें सात विकासखण्ड/तहसील जगदलपुर,बस्तर,बकावण्ड,लोहंडीगुड़ा,तोकापाल,दरभा और बास्तानार में विभाजित किया गया हैं। सन् 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 834375 थी।

जिसमें 413706 पुरुष एवं 420669 महिलाएँ थी। बस्तर की जनसंख्या में 70 प्रतिशत जनजातीय समुदाय जैसे गोंड,मारिया,मुरिया,भतरा,हल्बा,धुरुवा,समुदाय हैं। इस प्रकार से यहाँ की अधिकाश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 18166 बस्तर जिले की कुल लाभार्थियों की संख्या हैं। जिसमें बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लॉक में 3062 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या हैं।

भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिये अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं । इन्हीं योजनाओं के द्वारा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई हैं। भारत में बुजुर्गो की संख्या केवल 20 वर्षो में वृद्धि हुई जिसका प्रमुख कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण बुर्जुगो की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई जबकि विश्व के अधिकतर देशों में बुजुर्गो की संख्या अधिक होने में 100 से अधिक वर्ष हो गये वृद्धावस्था से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हैं । वृद्ध बढ़ती उम्र के अतिम पड़ाव पर होते है, उन्हें अपने परिवार से सहायता की उम्मीदें होती हैं । वृद्धावस्था में परिजन उनकी देखभाल करें एवं उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करे। गरीब परिवारों में बुजुर्गो के लिये आर्थिक असुरक्षा की अधिकतम संभावना रहती हैं । इन परिस्थितियों में जब बुजुर्ग अपने आपको विवश और असहाय पाते हैं तो आर्थिक सहायता प्राप्त करना मजबूरी होती हैं। अपने व्यय की पूर्ति करना बुजुर्गो के लिये अत्यन्त कठिन कार्य हैं । ऐसे वृद्धो के लिये शासन की वृद्धावस्था पेंशन योजना उपयोगी सिद्ध हुई है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- लाभार्थी (पुरूष या महिला) की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
- लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) परिवार का हो अथवा उसकी मासिक आय रू 4000/– से कम हो
- अभ्यर्थी के कोई पुत्र /पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा ।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होगें ।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी .एल चयनित परिवार के सदस्य न हो उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं।
- इस पेंशन के अंतर्गत 200रू केन्द्र व 150रू राज्य सरकार द्वारा निर्वहन करेगी
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की राशि की भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से वितरित किया जाता हैं।

अध्ययन का उद्देश्य (Objectives)

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से वृद्धजनों में आर्थिक ,सामाजिक, सशक्तिकरण में वृद्धि तथा संभावनाओं की जानकारी प्राप्त करना हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य सुनिश्चित किये गये हैः–

1.बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लॉक में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का आर्थिक स्थिति में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ।
2.बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लॉक में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के द्वारा सामाजिक दशाओं का विश्लेषण करना।
3.बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लॉक में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का स्वास्थ्य दशा में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन।

अध्ययन की अवधिः–

प्रस्तुत अध्ययन के लिए संदर्भ वर्ष 2023–2024 हैं जिसे लिया गया हैं अध्ययन वर्ष के द्वारा आँकड़ों का संग्रहण किया गया हैं।

परिकल्पना (Hyopothesis)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पना निर्मित की गई हैं –

1.राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हैं।

2.राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के कारण स्वास्थ्य दशा में वृद्धि हुई हैं।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्वः–

वृद्धजनों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिये उनकी निर्भरता परिवार पर समाज पर बनी हुई है। बुजुर्ग अपनी इच्छाओं एवं चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करने में असमर्थ हैं । इन समस्याओं का हल भारत सरकार द्वारा '' राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना'' से जिसके तहत बुजुर्ग व्यक्ति चाहे वह महिला हो या पुरूष गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वालो को हर माह शासन के नियमानुसार पेंशन दी जाती हैं ।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थी पेंशन पाकर बहुत संतुष्ट हैं । अब वह परिवार व समाज पर निर्भर नहीं है, बीमारियों के इलाज स्वंय कराने में सक्षम हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक प्रभावशाली योजना हैं । इससे हमारे बुजुर्गों के आत्मसम्मान की रक्षा होती हैं, साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होती हैं।

इसी परिपेक्ष में बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लॉक में निवासरत वृद्धजनों के आर्थिक, सामाजिक ,सशक्तिकरण में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की भूमिका का अध्ययन करना है, जिससे एक स्वस्थ एवं समृद्ध बस्तर जिले का स्वप्न साकार हो सके।

8.उपलब्ध शोध साहित्य का अध्ययनः–

1.बी.देवी.प्रसाद(B.Devi Prasad-2009) ने अपने अध्ययन "Implemntaation of the old age pension scheme in Visakhapatnam" में आंध्रप्रदेश राज्य के विशाखापटनम् जिले के 18 गाँवों से 185 लाभार्थी जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित लाभार्थियों को न्यादर्श परिवार के रुप में यादृच्छिक रुप से चयन किया गया हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि अधिकाश लाभार्थियों को पेंशन की राशि को प्राप्त करनें में अनेक समस्याओं का समना करना पड़ता हैं।

2.राजशेखर एवं अन्य (Rajashekhar et.all.2009) ने अपने अध्ययन "Delivery of social security and pension Benefits in Karnataka" में कर्नाटक राज्य के बेल्लारी,चित्रदुर्ग और
गुलबर्गा जिलों का चयन कर बहुस्तरीय विधि का प्रयोग अपने शोध अध्ययन में किया गया। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि 59 प्रतिशत लाभार्थियों ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को अधिक सुरक्षित माना हैं, और निष्कर्ष निकाला है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ वृद्धजनों के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

3.सिमी चाको एवं अन्य(Simi chako et. all-2013) ने अपने अध्ययन **" Report on old age and widow pension scheme in Chhattisgarh-lankhapur block surguja District"** में छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के लंकापुर ब्लॉक में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया की 96 प्रतिशत उत्तरदाताओं को निश्चित समय पर पेंशन राशि प्राप्त नहीं होती है,तथा 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पेंशन की राशि प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि 37 प्रतिशत लाभार्थियों को बैंक एवं डाकघरों के अधिकारियों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं, तथा 35 प्रतिशत लाभार्थी संतुष्ट हैं। उत्तरदाताओं का 96 प्रतिशत भोजन ,स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में पेंशन की सभी राशि खर्च की जाती हैं। 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पेंशन की राशि का उपयोग अपने परिवार के सदस्यों के उपभोग में किया जाता हैं।

4.श्री तम राम्या (Mr.Tame Ramya-2014) ने अपने अध्ययन **" The old age pension and hs impact on the Livelihood chances of fibal elderly pepols in Arunachal Pradesh, india"** में भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय वृद्धजनों के आजीविका तें इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रभावों का अध्ययन किया गया हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभार्थियों को उनके जीवन स्तर में सुधार लाया हैं। वृद्धावस्था पेंशन से जनजातीय वृद्धजनों को समाज में गर्व की स्थिति में पहुँचाया हैं।

5.सना हाशमी (Saua hashimi -2018) ने अपने शीर्षक **" Government Policies and programmes for elderly Womman in india a spcial Refereance to indira Gandhi national old age pension scheme in slums areas of Aligarh"** में अलीगढ़ शहर के झुग्गी इलाकों में रहने वाले वृद्ध महिलाओं पर इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया हैं। इन्होंने अपने शोध अध्ययन के लिये न्यादर्श उत्तरदाताओं के रुप में यादृच्छिक रुप से 40 बुजुर्ग महिलाओं को लिया गया है। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया गया कि लाभार्थियों को अपने पेंशन राशि को प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं।

शोध प्राविधिः

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना द्वारा वृद्धजनों के आर्थिक,सामाजिक सशक्तिकरण का अध्ययन बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लॉक के विशेष संदर्भ में बस्तर जिले में कुल लाभार्थियों की संख्या 18166 हैं। प्रस्तुत अध्ययन **प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों** पर आधारित हैं प्राथमिक समंको के संकलन के लिये सविचार निदर्शन पद्धति एवं दैव निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया हैं, सविचार पद्धति के अन्तर्गत बस्तर जिले में कुल सात ब्लॉक हैं जिसमें से बकावण्ड ब्लॉक का चयन किया गया हैं। बकावण्ड ब्लॉक में कुल लाभार्थियों की संख्या 3062 हैं। दैव निदर्शन पद्धति द्वारा चूने हुए बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लॉक के कुल लाभार्थियों में से 5 प्रतिशत लाभार्थियों को चिन्हित किया गया हैं, इस प्रकार 3062×5/100=153 कुल 153 अनुसूची भरी गयी हैं।

तालिका कमांक 01

उत्तरदाताओं की सूची

लाभार्थियों की आयु	पुरुष लाभार्थी	पुरुष लाभार्थियों का प्रतिशत	महिला लाभार्थी	महिला लाभार्थियों का प्रतिशत	महिला/पुरुष कुल लाभार्थियों की संख्या	महिला/पुरुष कुल लाभार्थियों का प्रतिशत
60–69 वर्ष	45	64.2	50	60.2	95	62.0
69–79 वर्ष	20	28.5	25	30.1	45	29.4
79 – से अधिक	5	7.1	8	9.6	13	8.4

(source:- nsap nic.com.)

द्वितीयक समंकों के लिए छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा समय –समय पर प्रकाशित बुलेटिन पत्र पत्रिकाएँ अभिलेखों का सहारा लिया जाएगा। अध्ययन एवं समंकों को वैज्ञानिकता प्रदान करने हेतु सांख्यिकी की मान्य विधियों का प्रयोग किया गया हैं।

तालिका कमांक 02

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित लाभार्थियों के सामाजिक – जनसांख्यिकीय विशेषताओं का अध्ययनः–

(कुल लाभार्थी = 153)

विशेषताएँ	पुरुष लाभार्थी	महिला लाभार्थी	कुल लाभार्थी	कुल लाभार्थियों का प्रतिशत
सूचनादाताओं की मासिक आय रुपये में				
1000 से कम	50	20	70	45.75
1000–2000	15	25	40	26.14
2000–3000	03	35	38	24.83
3000–4000	02	03	05	3.26
सूचनादाताओं के शिक्षा का स्तर				
निरक्षर	30	40	70	45.75
प्राथमिक	30	32	62	4052
पूर्व माध्यमिक	04	05	09	5.88
माध्यमिक	06	03	09	5.88
उच्चतर माध्यमिक	0	03	03	1.96
महाविद्यालयीन	0	0	0	0
सूचनादाताओं के स्वास्थ्यगत स्थिति				
अच्छा	10	23	33	21.56
समान्य	40	15	55	35.94
खराब	30	45	65	42.48
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्राप्त आर्थिक लाभ का उपयोग				
बचत के रुप	10	05	15	9.80

<u>में</u>				
<u>स्वयं के उपभोग में</u>	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>100</u>	<u>65.35</u>
<u>परिवार के सदस्यों के रुप में</u>	<u>20</u>	<u>18</u>	<u>38</u>	<u>24.83</u>
<u>कोरोना महामारी के समय राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्राप्त राशि आर्थिक मंदी को दूर करने में सहायक हुआ</u>				
<u>हाँ</u>	<u>60</u>	<u>75</u>	<u>135</u>	<u>88.23</u>
<u>नहीं</u>	<u>10</u>	<u>08</u>	<u>18</u>	<u>11.76</u>

अध्ययन का निष्कर्ष :–

1.आय के संबंध में सूचनादाताओं की मासिक आय का स्तर 1000से कम तक 45.75प्रतिशत एवं 1000 – 2000 रूपये तक मासिक आय प्राप्त करने वाले सूचनादाताओं की संख्या 26.14 प्रतिशत हैं। 2000–3000 मासिक आय प्रप्त करने वाले लाभार्थी 24.83 प्रतिशत 3000–4000 मासिक आय प्रप्त करने वाले लाभार्थी 3.26 प्रतिशत हैं। अतः निम्न आय वर्ग समूह वाले सूचनादाताओं की संख्या अधिक पायी गई है।

2.शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान ग्रामीण समाज पिछड़ा हुआ है। सूचनादाताओं में निरक्षर 45.75 प्रतिशत है। सूचादाताओं में प्रारंभिक स्तर 40.50 प्रतिशत शिक्षित हैं। सूचनादाताओं में पूर्व माध्यमिक में 5.88 प्रतिशत हैं। माध्यमिक स्तर पर 5.88 प्रतिशत हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1. 96 प्रतिशत हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक शून्य प्रतिशत अशिक्षित हैं। अतः ग्रामीण समाज में उच्च शिक्षा प्राप्त किये व्यक्तियों की संख्या नही के बराबर है ।

3.सूचनादाताओं के स्वास्थ्यगत स्थिति में अच्छा 21.56 प्रतिशत हैं। सामान्य स्थिति में 35.74 प्रतिशत है। खराब स्थिति में 42.48 प्रतिशत हैं। इस प्रकार कहा जा सकता हैं कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्राप्त आर्थिक लाभ पर्याप्त नहीं हैं।

4.राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्राप्त आर्थिक लाभ का उपयोग बचत में 9.80प्रतिशत हैं। लाभार्थियों द्वारा स्वयं के उपभोग में 65.35 प्रतिशत है तथा परिवार के सदस्यों के उपभोग में 24.83 प्रतिशत है। अतः कहा जा सकता है कि इस योजना से लाभार्थियों द्वारा स्वयं के उपभोग की क्षमता में वृद्धि हुई है ।

5.कोरोना महामारी के समय राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्राप्त राशि आर्थिक मंदी को दूर करने में सहायक हुआ 88.23 प्रतिशत लाभार्थियों ने माना तथा 11.7 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा यह सहायक नहीं हुआ हैं।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का परिणाम

1.लाभार्थियों की वास्तविक आय में वृद्धि हुई उनकी क्रयशक्ति में वृद्धि हुई जिससे वे स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय के स्थान पर अन्य कार्यों में व्यय करने लगे ।

2.गरीबी व बेरोजगारी में कमी आयी है ।

3.लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार आया है ।

4.राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का व्यापक प्रचार – प्रसार हुआ है ।

5. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से वृद्धजन अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं छोटे – मोटे खर्चों को चलाना वृद्धजनों के लिए काफी मुश्किल रहता है , ऐसे में वृध्दों के लिए यह योजना बड़ी राहत दी है ।

प्रमुख समस्याएं :–

1.लाभार्थियों की पेंशन की राशि समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती ।

2.बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है ।

3.राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के विस्तार हेतु प्रचार–प्रसार का अभाव है ।

4.न्यादर्श परिवारों में शिक्षा एवं जागरूकता की कमी है।

5.वर्तमान समय में न्यादर्श परिवारों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है ।

सुझाव :–

1.लाभार्थियों की पेंशन राशि समय पर उपलब्ध होना चाहिए ।

2.हितग्राहियों की पेंशन राशि में वृद्धि होना चाहिए ।

3.बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए ।

4.राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक वृद्धजन इस योजना से लाभान्वित हो सके ।

5.निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं घर पहुंच पेंशन राशि का भुगतान किया जाना चाहिए ।

6.ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए जो लोगों को इस योजना की जानकारी दे।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

B Devi prasad. (2009). "Implementation of The old age pension scheme in Visakhapatnam District". Journal of Rural Development, Vol28(No4), pp.439-449.

Rajasekhar et all. (2009). "Delivrrry of social security and pension Benifits in Karnataka". Bangalore; centre for Decentralisation and Development,Insttitute for social and Economy change,, 17(34), pp.83-85.

Chakco Simi . (2013). "Report on old age and widow pension scheme in chhattisgarh-lankhpur Block surguja District". Public Evaluastion of Entitlement programmes(PEEP) survey chhattisgarh, Vol 24(NO 26), PP.6-7.

Ramya t. (2014). "The old age pension and its impact on the livelihood chances of fibal Elderly pepoles ln Arunachal praddesh: india". International conference, Vol 15(NO 6), PP.330-343.

Hashmi, S.(2018). "Government Policies and Programmes for Elderly Women in India: A Special Reference to Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme in Slums Areas of Aligarh". *LEARNING COMMUNITY: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT*, 9(1).

वेबसाइटस–

https : llarchive. Org /stream/ old age pension (saoobritgod /old dgeppersionsa oobbritloog live Txt)
Government of India ministry of Rural Devalopment No j-11013/1/2007 –NSAP
http : //hasp.nic / login/ dashbard. do ? method Name =get 656 District
https://www.dristiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/national-social-assistnce-program-performance.
http:/www.orfonline.org/hindi/research/the-future-of-social-protection-61293/